भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1959

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी व्यय</u>

1959. श्री के. के. रागेश :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी व्यय हेतु कोई प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (घ): वर्ष 2014-15 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था। इस वर्ष के दौरान कुल 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपनी रिपोर्टें रखी हैं, ने सीएसआर के अंतर्गत लगभग 2386.60 करोड़ रुपए खर्च किए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में उन क्षेत्रों की विस्तृत सूची दी गई है जिनके अंतर्गत कंपनियां अपने सीएसआर कार्यक्रम/परियोजनाएं/कार्यकलाप चला सकती हैं; और अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों के बोर्ड को इस सूची में से अपने सीएसआर दायित्व के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

*****